भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3504
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

महिला एवं बाल परामर्श केन्द्र

3504. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में महिला एवं बाल परामर्श केन्द्रों के निर्माण एवं विकास के लिए कोई योजना/कार्यक्रम/पहल शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में ऐसे कार्यक्रमों/योजनाओं/पहलों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है तथा इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित / उपयोग की गई;

(ग) देश भर में प्रस्तावित, स्वीकृत और वर्तमान में कार्यरत महिला एवं बाल परामर्श केन्द्रों की राज्यवार और जिलावार संख्या कितनी है, जिसमें उक्त राज्य का प्रकाशम और एलुरू जिला भी शामिल है;

(घ) देश में महिला एवं बाल-विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों, थेरेपिस्टों और मनोचिकित्सकों के उपलब्ध पदों की संख्या कितनी है तथा वर्तमान में उक्त राज्य में राज्यवार और जिलावार, बाल परामर्श केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों की संख्या और रिक्तियां कितनी हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने बाल परामर्श केन्द्रों के संचालन / रखरखाव के संबंध में कोई दिशानिर्देश/मैनुअल जारी किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) मिशन शक्ति के तहत संबल उप-योजना का एक घटक है जो निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग और सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनो-सामाजिक **परामर्श** जैसी सेवाएं भी प्रदान करता है। चूंकि यह योजना मांग आधारित है, इसलिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक ओएससी और उन जिलों में अतिरिक्त ओएससी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर अधिक है या बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है और आकांक्षी जिले हैं। आज तक, 894 ओएससी स्वीकृत हैं और इनमें से 802 ओएससी देश भर में या तो अपने भवन में या पहले से मौजूद सरकारी भवन या किराए के परिसर में संचालित हैं। राज्यवार स्वीकृत और कार्यशील ओएससी का विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। प्रकाशम और एलुरु जिले सहित आंध्र प्रदेश में जिलेवार स्वीकृत और कार्यशील ओएससी का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के लिए जारी की गई राज्यवार निधि का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से 'मिशन वात्सल्य' नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करना है। इसमें संस्थागत देखभाल सेवाएं और गैर-संस्थागत देखभाल सेवाएं दोनों शामिल हैं। पुनर्वास उपाय के रूप में बाल देखभाल संस्थानों के माध्यम से संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है। गृहों में कार्यक्रमों और गतिविधियों में, अन्य के साथ-साथ, आयु-उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंच, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श इत्यादि शामिल हैं। गैर-संस्थागत देखभाल घटक के तहत, बच्चों का दत्तक ग्रहण, पालन-पोषण, पश्चात देखभाल और प्रायोजन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल देखभाल संस्थान में भी परामर्शदाता का प्रावधान है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बेंगलुरु के साथ मिलकर सुभेद्य परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए सहायता, पैरवी और मानसिक स्वास्थ्य समाधान(संवाद) की स्थापना की है जो बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक देखभाल के लिए राष्ट्रीय पहल और एकीकृत

संसाधन है। यह बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा अन्य प्रकार के मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(घ) और (ङ): मिशन शक्ति दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक ओएससी में 1 मनो-सामाजिक परामर्शदाता सहित 13 श्रमशक्ति संसाधनों की नियुक्ति/भर्ती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ओएससी योजना का समग्र कार्यान्वयन राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधीन है। मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 'मिशन शक्ति' और 'मिशन वात्सल्य' दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

****

अनुलग्नक-I

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा 'महिला एवं बाल परामर्श केन्द्र' के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

राज्यवार स्वीकृत और कार्यशील ओएससी का विवरण:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत ओएससी की संख्या**	**कार्यशील ओएससी की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	3
2	आंध्र प्रदेश	26	26
3	अरुणाचल प्रदेश	25	25
4	असम	36	36
5	बिहार	50	39
6	चंडीगढ़	1	1
7	छत्तीसगढ़	35	27
8	दादरा और नगर हवेली - दमन और दीव	3	3
9	दिल्ली	15	11
10	गोवा	2	2
11	गुजरात	35	35
12	हरियाणा	22	22
13	हिमाचल प्रदेश	13	12
14	जम्मू और कश्मीर	20	20
15	झारखंड	31	24
16	कर्नाटक	40	39

17	केरल	14	14
18	लद्दाख	2	2
19	लक्षद्वीप	1	1
20	मध्य प्रदेश	65	57
21	महाराष्ट्र	55	45
22	मणिपुर	16	16
23	मेघालय	12	12
24	मिजोरम	13	11
25	नागालैंड	17	11
26	ओडिशा	30	30
27	पुद्दुचेरी	4	4
28	पंजाब	23	23
29	राजस्थान	52	37
30	सिक्किम	6	6
31	तमिलनाडु	49	48
32	तेलंगाना	36	36
33	त्रिपुरा	8	8
34	उत्तर प्रदेश	96	79
35	उत्तराखंड	14	14
36	पश्चिम बंगाल	24	23
	कुल	**894**	**802**

अनुलग्नक-II

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा 'महिला एवं बाल परामर्श केन्द्र' के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश राज्य में जिलावार स्वीकृत और कार्यशील ओएससी का विवरण:

क्र.सं.	**जिला**	**स्वीकृत**	**कार्यशील स्थिति**
1	श्रीकाकुलम	1	हाँ
2	पार्वतीपुरम	1	हाँ
3	विजयनगरम	1	हाँ
4	विशाखापत्तनम	1	हाँ
5	अनकापल्ली	1	हाँ
6	अल्लुरी सीता रामाराजू	1	हाँ
7	पूर्वी गोदावरी	1	हाँ
8	काकीनाडा	1	हाँ
9	कोनासीमा	1	हाँ
10	पश्चिम गोदावरी	1	हाँ
11	एलुरु	1	हाँ
12	कृष्णा	1	हाँ
13	एनटीआर	1	हाँ
14	गुंटूर	1	हाँ
15	बापतला	1	हाँ
16	पालनाडु	1	हाँ
17	प्रकाशम	1	हाँ
18	नेल्लोर	1	हाँ

19	तिरुपति	1	हाँ
20	चित्तूर	1	हाँ
21	अन्नमय्या	1	हाँ
22	कडपा	1	हाँ
23	नदियाल	1	हाँ
24	कुरनूल	1	हाँ
25	अनंतपुरम	1	हाँ
26	श्री सत्य साई	1	हाँ

अनुलग्नक-III

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी और श्री पुट्टा महेश कुमार द्वारा 'महिला एवं बाल परामर्श केन्द्र' के संबंध में दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (क) से (ग) में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान ओएससी के लिए जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि का विवरण निम्न प्रकार है:

(राशि लाख में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	41.6	38.59	58.22	15.2	135.99
2	आंध्र प्रदेश	260.99	205.05	249.57	72.96	605.58
3	अरुणाचल प्रदेश	134.18	514.14	369.45	40.39	847.7
4	असम	804.09	642.14	650.63	129.61	1,755.48
5	बिहार	1,046.09	709.66	555.17	0	0
6	चंडीगढ़	15	33.84	15	49.22	16.8
7	छत्तीसगढ़	677.38	353.21	526.86	304.63	882.44
8	डीएनएचडीडी	0	0	0	0	50.39
9	दिल्ली	390.97	189.05	184.69	138.56	184.78
10	गोवा	15	30.01	30.01	0	0
11	गुजरात	679.52	875.17	997.46	386.76	1,166.26
12	हरियाणा	401.92	398.44	385.35	186.75	594.68
13	हिमाचल प्रदेश	317.3	204.05	180.05	18.9	403.15
14	जम्मू और कश्मीर	96.39	218.84	323.09	0	335.96
15	झारखंड	408.53	697.25	506.78	0	0

16	कर्नाटक	582.04	729.09	513.88	130.88	1,054.13
17	केरल	140.9	243.06	234.41	139.28	0
18	लद्दाख	0	65.45	30.01	0	33.6
19	लक्षद्वीप	20.91	7.5	15	0	16.8
20	मध्य प्रदेश	1,670.92	1,057.05	921.41	261.55	820.48
21	महाराष्ट्र	669.99	646.2	561.35	69.37	1,539.69
22	मणिपुर	248.84	501.94	396.59	543.29	268.77
23	मेघालय	374.3	211.62	276.22	232.77	321.56
24	मिजोरम	218.71	172.64	280.33	178.05	283.45
25	नागालैंड	191.73	329.91	528.92	197.41	545.83
26	ओडिशा	209.35	931.55	739.31	614.67	1,084.95
27	पुद्दुचेरी	43.76	72.02	67.24	18.25	0
28	पंजाब	351.84	490.61	385.31	0	389.01
29	राजस्थान	677.12	566.87	941.85	129.59	883.59
30	सिक्किम	68.1	66.02	80.8	77.48	126.09
31	तमिलनाडु	713.6	1,066.6	520.38	697.43	1,158.88
32	तेलंगाना	624.47	793.39	945.98	1,392.65	1,217.41
33	त्रिपुरा	60.02	162.04	135.75	18.21	0
34	उत्तर प्रदेश	1,231.94	2,288.33	1,396.79	347	1,812.71
35	उत्तराखंड	229.07	273.09	263.17	153.33	436.75
36	पश्चिम बंगाल	95.46	198.9	227.32	28.41	0

****